अनुसूची 47, प्रपत्र सं0–118 01:45 pm
आ0 ह0 प्रपत्र सं0–26 (नियम–143) 31.5.21

संख्या–B

प्राथमिकी (F.I.R) 160289

(द0 प्र0 सं0 की धारा 154 के अधीन)

1. *जिला सारण *अनुमंडल सदर *थाना नगर *वर्ष 2021 *प्राथमिकी सं0 294/21 *तिथि 30/5/2021

(Distt.) (S. Div.) (P.S.) नगर थाना (Yr.) (F.I.R. No.) (Date) 143/149/186

2. (i) *अधिनियम (Act) .... *धाराएँ *(Sections) 188/323/183

(ii) *अधिनियम (Act) .... *धाराएँ *(Sections) 269/270/352/353

(iii) *अधिनियम (Act) .... *धाराएँ *(Sections) 427/504/506 51(b) ND/MA Act 2005

(iv) *अन्य अधिनियम एव धाराएँ (Other Acts and Section) ....

3. (क)*अपराध की घटना (Act) .... *दिन .... *तिथि से 30/5/21 *तिथि तक ....

(Occurrence of offence) (Day) (Date from) (Date to)

*समयावधि (पहर) .... *बजे से .... बजे तक

(Time period) 30/05/2021 (Time from) 11:10 बजे (Time to)

(ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि 30/05/2021 समय 11:10 बजे

(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 31/5/21 समय 11:10 बजे

(घ) थाना दैनिकी संदर्भ–प्रविष्टी स0 .... समय [illegible]

सूचना का प्रकार (Type of information) उत्तर करीब 1½ km *लिखित/मौखिक (Written/Oral)

घटनास्थल – (क) थाना से दिशा एव दूरी [illegible] से आगे [illegible] बीट स0 [illegible] जिला सारण

(ख) *पता (Address) ....

....

(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम .... जिला ....

परिवादी/सूचनादाता [illegible] कुमार सिंह (अनुमण्डल पदा. सदर सारण)

(क) नाम .... [illegible]

(ख) पिता/पति का नाम भारतीय

(ग) जन्म–तिथि .... (घ) राष्ट्रीयता ....

(ड़) पारपत्र सं0 कोई नहीं .... निर्गम तिथि .... निर्गम स्थान ....

(च) पेशा अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा जिला सारण

(छ) पता ....

अनूसूची 47 ; प्रपत्र सं0–118

7 ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएं)

① [illegible] ② अतुल कुमार सिंह पे० ब्रजेन्द्र कुमार सिंह सा० अतुल [illegible] पुरानी [illegible] दोनों थाना नगरा जिला सारण उ० 30/35 अज्ञात

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :–

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से0 मी0 में (Height in) Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिन्ह (Identification mark)
1	2	3	4	5	6

*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*दांत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (habits)	*पहनावा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जख्म चिन्ह (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा (गोपनीय शाखा)

पत्रांक 779 आर0सी0 दिनांक- 30/05/2021

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
बि.प्र.से.
अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर,छपरा।

सेवामें,

पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष,
नगर थाना।

विषयः- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा छपरा शहर में निर्माणाधीन डबल डेकर पुल परियोजना का स्थल निरीक्षण दिनांक 28.5.2021 को किया गया था। उक्त निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन उनके ज्ञापांक 2098/सी दिनांक 28.5.2021 **(प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 पर संलग्न)** द्वारा निर्गत है। इस प्रतिवेदन में उल्लेख है कि परियोजना की कार्यकारी एजेन्सी मे0 नागार्जुन कन्ट्रक्शन कंपनी लि0 के द्वारा मंथर गति से कार्य करवाया जा रहा है और उनके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना के द्वारा अपने विभागीय वरीय पदाधिकारियों के साथ दिनांक 30.5.2021 को स्थल निरीक्षण एवं पिलर टू पिलर कार्य के प्रगति की जांच करने और जमीन उपलब्धता की मापी करने हेतु छपरा आये थे।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना के सहयोग हेतु अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त नगर प्रबंधक को निदेशित किया गया था जिसके अनुपालन में प्रबंध निदेशक और उनके विभागीय वरीय पदाधिकारी डबल डेकर पुल के कार्य स्थल सलेमपुर चौक से आगे मुख्य पथ के दोनो तरफ उपलब्ध असर्वेक्षित भूमि की नापी कर रहे थे। इस भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-17-155/2014-840 दिनांक- 07.06.2017 के द्वारा सरकारी भूमि माना गया है। इस मापी के क्रम में श्री प्रभाकर गुप्ता पिता का नाम नामालूम मु0 सलेमपुर छपरा, श्री अतुल कुमार पिता स्व0 ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, अतुल मशीनरी पुरानी गुड़हट्टी, छपरा द्वारा 30-35 अज्ञात व्यक्तियों को इकट्ठा कर बलवा खड़ा किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए उन्हें धमकाते हुए उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया।

विदित हो कि वर्तमान में कोविड-19 की रोक-थाम के लिये गृह विभाग, बिहार के पत्रांक 2884 दिनांक 13.5.2021 और 2918 दिनांक 24.5.2021 के आलोक मे जिलाधिकारी, सारण के आदेश जो ज्ञापांक 1911/सी दिनांक 13.5.2021 **(प्रतिलिपि परिशिष्ट-2 पर संलग्न)** और 2064/सी दिनांक 24.5.2021 **(प्रतिलिपि परिशिष्ट-3 पर संलग्न)** द्वारा सम्पूर्ण सारण जिला में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा

Registered Town P.S Case No. 294/21 dt 30-05-2021 u/s 143/149/186/188/332/189/269/270/351/353/427/504/506 I.P.C & 51(b) NDMA Act 2005 SI Dev Kr Tiwari P/ investigate it

Sd
Bimal Kr Singh
SHO Comd insp-Town P.S

लागू की गई है। इसके बावजूद उपरवर्णित व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से लोगों को इक कर बलवा किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए सरकारी पदाधिकारियों के स अभद्रता की गई। इससे संबंधित साक्ष्य स्वरूप दो वीडियो की सी. डी. इस पत्र के सा संलग्न हैं **(प्रतिलिपि परिशिष्ट-4 और 5 पर संलग्न)**। प्रथम वीडियो 6.39 मिनट का है। इस वीडियो के 3.07 से 3.17 मिनट तक के अंश में प्रभाकर गुप्ता पदाधिकारियों को धमकाते हुए और अभद्र व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो की ट्रांसक्रिप्टेड कॉपी **परिशिष्ट- 6 पर संलग्न है।)** दूसरा वीडियो 2.08 मिनट का है। इस वीडियो के 1.18 से 2.03 मिनट तक वाले अंश में अतुल कुमार सिंह द्वारा कही गई बातों का उल्लेख है। इस वीडियो की ट्रांसक्रिप्टेड कापी **परिशिष्ट 7 पर संलग्न है**। साथ ही उनके द्वारा Disaster Management Act 2005 एवं कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए नापी में प्रयुक्त उपस्करों को तोड़ दिया गया एवं नापी करने वाले सरकारी सेवक को अपने दायित्व के निर्वहन से रोक दिया गया।

उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा नापी करने पर माननीय उच्च न्यायालय के रोक लगातार जिक किया जा रहा था, परन्तु मांगने के बावजूद भी कोई आदेश नही दिखलाया गया और न ही कार्य करने दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 6838/2021 में दिनांक 10.3.2021 को जो आदेश पारित किया गया है उसमें केवल Status quo as existing today आदेश पारित किया गया है। उक्त पारित आदेश की वेब **प्रतिलिपि परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।**

अतः प्रभाकर गुप्ता, अतुल कुमार सिंह और अन्य अज्ञात 30-35 व्यक्तियों के विरूद्ध सरकारी उपस्कर/ उपकरण तोड़ने, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 का उल्लंघन करने तथा Disaster Management Act 2005 एवं कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुमण्डल पदाधिकारी
सदर, छपरा।

अनु0:-

1- परिशिष्ट-1 निरीक्षण प्रतिवेदन ज्ञापांक 2098/सी दिनांक 28.5.2021
2- परिशिष्ट-2 ज्ञापांक 1911/सी दिनांक 13.5.2021
3- परिशिष्ट-3 ज्ञापांक 2064/सी दिनांक 24.5.2021
4- परिशिष्ट-4 प्रभाकर गुप्ता वाले वीडियो की सी. डी. 6.39 मिनट की।
5- परिशिष्ट-5 अतुल कुमार सिंह वाले वीडियो की सी. डी. 2.08 मिनट की।
6- परिशिष्ट-6 प्रभाकर गुप्ता वाले वीडियो की ट्रांसक्रिप्टेड कॉपी।
7- परिशिष्ट-7 अतुल कुमार सिंह वाले वीडियो की ट्रांसक्रिप्टेड कॉपी।
8- परिशिष्ट-8 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वेब कॉपी।

अनूसूची 47. प्रपत्र सं0–118

वादी का कम्प्यूटराइज्ड कागजात अनुसंधान पदाधिकारी सहायक पत्रांक 770 अ०प्र० सं० जो इस कांड का मूल आधार है। मूल प्रति मूल के साथ तथा अन्य प्रति छाया प्रति के साथ संलग्न है।

30/5/2021
पु०नि० सह थाना प्रभारी
नगर छपरा

की गयी कार्रवाई : चूंकि उपर्युक्त सूचना से मद सं0 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया.......(बिमल कुमार सिंह)......पदनाम.....पु०नि०.....का नुसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/अधिकारिता के प्रश्न पर..............थाना को रित किया गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार ा और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals mmission of offence (s) u/s as mentioned at Item No.. 2 registered the case and took up the investigation/ cted*..............Rank..............to take up the investigation)

दी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय –

30/5/2021

थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name)......बिमल कुमार सिंह, पु०नि० सह थाना प्रभारी......

पदनाम (Designation)......नगर छपरा......